न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

मि0न0 – 68/2024

अनवान : –

1. करन बैनीवाल पुत्र श्री संजीव बैनीवाल जाति जाट निवासी गांधीबड़ी जिला हनुमानगढ़।
2. अर्जुन बैनीवाल पुत्र श्री संजीव बैनीवाल जाति जाट निवासी गांधीबड़ी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. अनील कुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी भूरटवाला त0 सिरसा।
2. अमीलाल पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी भूरटवाला त0 सिरसा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री कपूरचंद शर्मा वादी
श्री सुरेन्द्र बैनीवाल प्रतिवादी

निर्णय दिनांक:

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 एसडीआर के खाता सं0 6/10 के मु0न0 62 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 11, 20, 21 की 2.7320है0 व चक 8 एसडीआर के खाता सं0 8/10 के मु0न0 95 के किला न0 11 ता 13, 18 ता 23 मु0न0 105 के किला न0 5, 6, 15/1 की कुल 2.9090है0 खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। उक्त वाद भूमि वादी के दादा स्व0 दयाराम के जीवनकाल से ही वादी परिवार की कब्जा कास्त मे चली आ रही है। जिसका माल लगान आदि वादी परिवार ही अदा करता आ रहा है। तथा वाद भूमि को प्रतिवादीगण ने न तो कभी काश्त किया है और न ही उन्होन वाद भूमि का कभी माल लगान अदा किया है। वाद भूमि की बावत वादीगण एवं प्रतिवादीगण में दिनांक 12.11.2023 को दिपावली के रोज एक मौखिक बाहमी राजीनामा से समझौता हो गया जिसमें उक्त भूमि को प्रतिवादीगण ने वादीगण के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया है। इसलिए वादीगण अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही विनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 2 ने आपसी सहमती से राजीनामा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.06.07 15:52:07 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में वादी अर्जुन बैनीवाल द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। जिनमें वर्तमान जमाबंदी चक 5 एसडीआर प्रदर्श 1 जमाबंदी चक 8 एसडीआर प्रदर्श 2 खसरा गिरदावरी वाद भूमि प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिन्हे सही होना स्वीकार किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
(जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। उक्त वाद भूमि वादीगण के दादा स्व0 दयाराम के जीवनकाल से ही वादी परिवार की कब्जा कास्त मे चली आ रही है। जिसका माल लगान आदि वादी परिवार ही अदा करता आ रहा है। तथा वाद भूमि को प्रतिवादीगण ने न तो कभी काश्त किया है और न ही उन्होन वाद भूमि का कभी माल लगान अदा किया है। वाद भूमि की बाबत वादीगण एवं प्रतिवादीगण में दिनांक 12.11.2023 को दिपावली के रोज एक मौखिक बाहमी राजीनामा से समझौता हो गया जिसमें उक्त भूमि को प्रतिवादीगण ने वादीगण के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा चक 5 एसडीआर के खाता सं0 6/10 के मु0न0 62 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 11, 20, 21 की 2.7320है0 व चक 8 एसडीआर के खाता सं0 8/10 के मु0न0 95 के किला न0 11 ता 13, 18 ता 23 मु0न0 105 के किला न0 5, 6, 15/1 की कुल 2.9090है0 खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। उक्त वाद भूमि प्रदर्श 3 से वादीगण की पैतृक कृषि व उनके अधिपत्य में होना भी साबित हैं। प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य लिया है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः उपरोक्त विवेचानुसार तथा मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 एसडीआर के खाता सं0 6/10 के मु0न0 62 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 11, 20, 21 की 2.7320है0 व चक 8 एसडीआर के खाता सं0 8/10 के मु0न0 95 के किला न0 11 ता 13, 18 ता 23 मु0न0 105 के किला न0 5, 6, 15/1 की कुल 2.9090है0 खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, उक्त दोनो खातों में प्रतिवादीगण सं0 1 अनील कुमार प्रतिवादी सं0 2 अमीलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं0 1 करन बैनीवाल वादी सं0 2 अर्जुन बैनीवाल को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। जमाबंदी में वर्णित भूमि यथा खाला–रास्ता यथावत् रहेगें। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31-05-2024 को मुझ द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.06.07 16:52:07 IST
Reason: SelfAttested

(ओ.पी. चन्देलिया) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

पर्चा डिक्री

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
## पीठासीन अधिकारी :– श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस

मि0न0 – 68/2024

अनवान : –

1. करन बैनीवाल पुत्र श्री संजीव बैनीवाल जाति जाट निवासी गांधीबड़ी जिला हनुमानगढ़।
2. अर्जुन बैनीवाल पुत्र श्री संजीव बैनीवाल जाति जाट निवासी गांधीबड़ी जिला हनुमानगढ।

वादी

**बनाम**

1. अनील कुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी भूरटवाला त0 सिरसा।
2. अमीलाल पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी भूरटवाला त0 सिरसा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ ओ.पी. चन्देलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कपूरचंद शर्मा व वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 एसडीआर के खाता सं0 6/10 के मु0न0 62 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 11, 20, 21 की 2.7320है0 व चक 8 एसडीआर के खाता सं0 8/10 के मु0न0 95 के किला न0 11 ता 13, 18 ता 23 मु0न0 105 के किला न0 5, 6, 15/1 की कुल 2.9090है0 खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, उक्त दोनो खातों में प्रतिवादीगण सं0 1 अनील कुमार प्रतिवादी सं0 2 अमीलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं0 1 करन बैनीवाल वादी सं0 2 अर्जुन बैनीवाल को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। जमाबंदी में वर्णित भूमि यथा खाला–रास्ता यथावत् रहेगें। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। जमाबंदी में वर्णित भूमि यथा खाला–रास्ता भूमि यथावत् रहेगी। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31·05·24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.06.07 15:52:07 IST
Reason: SelfAttested

(ओ.पी. चन्देलिया) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner